न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :–202 / 2025

प्रार्थीः–

परागसिंह पुत्र प्यारेलाल जाति पुरोहित निवासी महिलावास तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः–

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :–

श्री किशोरीलाल सोनी अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 24.04.2026

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1162, 1163,1188 ,1154 ,1043, 1037,1040, 495 व 486 रकबा क्रमशः 00.0489, 00.0924, 04.0124 ,02.0312, 01.9342, 00.0614, 00.9328, 00.5005 व 00.9114 हैक्टेयर भूमि ग्राम महिलावास तहसील में अवस्थित है उक्त भूमियों में प्रार्थी का नाम ''तारा पुत्र प्याराजी उर्फ प्यारा'' दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी के समस्त सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, राशनकार्ड व बैंक डायरी आदि में प्रार्थी के वास्तविक नाम ''परागसिंह पुत्र प्यारेलाल'' दर्ज है इस प्रकार प्रार्थी का नाम का अशुद्ध अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई।

तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र के समर्थन में आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैक डायरी, परिवार राशनकार्ड, पैनकार्ड , जनआधार कार्ड, आदि प्रस्तुत किये ।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी ।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ''परागसिंह पुत्र प्यारेलाल' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि ग्राम महिलावास तहसील

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

सिवाना के खसरा संख्या 1162,1163,1188 ,1154 ,1043,1 037,1040, 495 व 486 रकबा क्रमशः 00.0489, 00.0924, 04.0124 ,02.0312, 01.9342, 00.0614, 00.9328, 00.5005 व 00.9114 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम ''तारा पुत्र प्याराजी उर्फ प्यारा'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में शुद्ध व सही नाम दर्ज किया जावे।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैक डायरी, परिवार राशनकार्ड, पैनकार्ड ,जनआधार कार्ड,, आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ''परागसिंह पुत्र प्यारेलाल'' दर्ज है, किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थी का नाम ''तारा पुत्र प्याराजी उर्फ प्यारा'' करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम महिलावास तहसील सिवाना के खसरा संख्या 1162,1163,1188 ,1154 ,1043,1 037,1040, 495 व 486 रकबा क्रमशः 00.0489, 00.0924, 04.0124 ,02.0312, 01.9342, 00.0614, 00.9328, 00.5005 व 00.9114 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम ''तारा पुत्र प्याराजी उर्फ प्यारा''के स्थान पर ''तारा उर्फ परागसिंह पुत्र प्याराजी उर्फ प्यारा उर्फ प्यारेलाल'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 24.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)